न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण : 141/2017

अनवान

1. बंशीलाल पुत्र मोहरसिंह जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– **वादी**

बनाम

1. मोहर सिंह पुत्र वीरू जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. संतलाल पुत्र मोहरसिंह जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. नारायणी देवी पुत्री मोहरसिंह पत्नि राजेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी खाबड़ा तहसील भट्टू जिला फतेहाबाद।
4. मनीता उर्फ लाडो पुत्री मोहरसिंह पत्नि राजसिंह जाति जाट निवासी खाबड़ा तहसील भट्टू जिला फतेहाबाद।
5. धर्मावती पुत्री मोहरसिंह पत्नि जवाहरलाल जाति जाट निवासी ढाबी तहसील भट्टू जिला फतेहाबाद।
6. लीलावती पुत्री मोहरसिंह पत्नि रायसिंह जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
7. गुरूमुखी पुत्री मोहरसिंह पत्नि रामनिवास जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
8. दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा गोगामेड़ी जरिये शाखा प्रबंधक शाखा गोगामेड़ी।
9. ओबीसी बैंक शाखा नेठराना जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा नेठराना।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत घोषणात्मक

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री धर्मपाल बेरवाल: **वादी**

वकील श्री सतवीर बैनीवाल : **प्रतिवादी सं0 1 ता 7**

निर्णय **दिनांक :** 14.2.18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी के दादा बीरू के दो पुत्र मोहरसिंह व शेरा पैदा हुये थे। मोहरसिंह प्रतिवादी सं0 1 अपने चाचा दाताराम की मृत्यु के बाद उसकी पत्नि चावली देवी के गोद चला गया था वादी के मौरूशाला बीरू व चावली की जो चल अचल सम्पत्ति थी उसका विवरण निम्न प्रकार से है :– चक नं0 5 एनटीआर के खाता सं0 15 के मु0नं0 51 के किला नं0 21, मु0नं0 69 के किला नं0 6, 7 ता 14, 15, 16, 17 ता 25, मु0नं0 70 के किला नं0 1, 10, 11, 20, 21 मु0नं0 71 के किला नं0 1, 10, 11, मु0नं0

72 के किला नं0 1 ता 19, 22 ता 25 मु0नं0 89 के किला नं0 4 ता 7 किला नं0 8, 9 कुल किता 60 की 55 किला 11 बिस्वा कमाण्ड, 8 बिस्वा खाला, 1 बिस्वा रास्ता गै0मु0 4 किला अनकमाण्ड खातेदारी हुआ करती थी जिसमें दाताराम वल्द हेतराम का 1/4 हिस्सा व मोहरसिंह, शेरा पिसरान बीरू का 1/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर व पूर्ण वल्द खेता का 1/2 हिस्सा खातेदारी भूमि थी।

चक 2 एनटीआर के मु0नं0 27 के किला नं0 17, 24 मु0नं0 28 के किला नं0 4 कुल 3 किता की 2 किला 19 बिस्वा कमाण्ड 1 बिस्वा गै0मु0 रास्ता दाताराम वल्द हेतराम की खातेदारी आराजी थी चक नं0 2 एनटीआर के मु0नं0 23 के किला नं0 6, 15, 9 ता 12 कुल 6 किता की 5 किला 18 बिस्वा कमाण्ड गै0मु0 रास्ता 2 बिस्वा प्रतिवादी सं0 1 की खातेदारी दर्शाई थी।

चक 5 एनटीआर के मु0नं0 52 के किला नं0 21 ता 25 मु0नं0 69 के किला नं0 1 ता 5 कुल किता 10 की 9 किला 16 बिस्वा कमाण्ड 4 बिस्वा खाला दाताराम वल्द हेतराम कौम जाट की खातेदारी आराजी थी।

वादी के दादा बीरूराम की मृत्यु के बाद व बीरूराम के भाई दाताराम व उसकी पत्नि चावली की मृत्यु के बाद उनके नाम दर्ज आराजी प्रतिवादी सं0 1 मोहरसिंह के नाम से कर्ता खानदान होने के कारण औद हो गई जो चक नं0 5 एनटीआर के खाता सं0 148/132 के मु0नं0 52 के किला नं0 21 ता 25 कुल किता 5 की 1.2650 है0 नहरी गै0मु0 खाला 0.0250 है0 मु0नं0 69 के किला नं0 1 ता 10 किला नं0 6 व 7 के प्रत्येक किला में 0.0250 है0 खाला कुल किता 10 की 2.5300 है0 नहरी 2.4800 है0 गै0मु0 खाला 0.0500 है0 मु0नं0 70 के किला नं0 1, 10 कुल किता 2 की 0.5060 है0 नहरी मु0नं0 72 के किला नं0 16, 17, 24, 25 कुल किता 4 की 1.0120 है0 नहरी मु0नं0 89 के किला नं0 4 ता 7 कुल किता 4 की 1.0120 है0 बारानी कुल किला 25 की 6.3250 है0 नहरी 5.2380 है0 बारानी 1.0120 है0 गै0मु0 खाला 0.0750 है0 व चक नं0 5 एनटीआर के खाता सं0 149/134 के मु0नं0 70 के किला नं0 12, 19, 22 कुल किता 3 की 0.7590 है0 नहरी खातेदारी संयुक्त परिवार की सहदारि की आराजी है जिसमें वादी व प्रतिवादी नं0 2 का प्रतिवादी सं0 1 के साथ अपने जन्म से हक व हिस्सा है और वादी व प्रतिवादी सं0 2 की बहिस्सा बराबर संयुक्त रूप से काश्त करते है। प्रतिवादी सं0 1 व 3 ता 7 ने अपना हिस्सा मौखिक रूप से व अपने आचरण से वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में तर्क कर रखा है। प्रतिवादी सं0 1 ने चक नं0 2 एनटीआर में 9 किला भूमि अपने पास रखी है व प्रतिवादी सं0 3 ता 7 की शादियां अच्छे घरों में की गई है उनके ससुराल में अच्छी जायदाद है उन्होने हिस्सा तर्क कर रखा है।

वाद भूमि संयुक्त परिवार की जद्दी जायदाद कृषि भूमि है जिसमें वादिय का अपने जन्म से हक व हिस्सा है लेकिन वाद भूमि तन्हा प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज होने के कारण व प्रतिवादी नं0 1, प्रतिवादी सं0 2 के असर व प्रभा में होने के कारण प्रतिवादी सं0 2 को प्रतिवादी सं0 1 नाजायज फायदा पहूचा कर समस्त वाद भूमि से वादी को उसके हिस्से से महरूम करने पर

उतारू । इसलिए वादी न्यायालय से घोषणा करवाने का कानूनी अधिकारी है कि वाद भूमि चक नं0 5 एनटीआर में वादी व प्रतिवादी सं0 2 बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये म्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 7 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया।

साक्ष्य वादी में वादी बंशीलाल के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य मे फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी भूमि एकीकरण विभाग चक 5 नेठराना सम्वत् 2016 प्रदर्श 1 व 3, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी भूमि एकीकर। विभाग चक 2 नेठराना सम्वत् 2016 प्रदर्श 2 व 4, नकल फोटो प्रति जमाबन्दे चक 2 एनटीआर सम्वत् 2071–74 प्रदर्श 5, नकल फोटो प्रति जमाबन्दे चक 5 एनटीआर सम्वत् 2072–75 प्रदर्श 6, असल प्रति वारिस प्रमाण पत्र प्रद 7 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी विवादित आराजी संयुक्त परिवार की सहदायिकी आराजी होना व मुताबिक राजीनामा वाद वादी डि की किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने चक 2 व 5 एनटीआर के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे वाद भूमि मोहरसिंह को विरासतन प्राप्त होना साबित होता है वादभूमि मोहरसिंह को चावली से व चावली को दाताराम से कब व किस प्रकार प्राप्त हुई, इस सम्बन्ध में वादी ने पत्रावली पर कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में वादी अपना वाद साबित करने में असफल रहा है।

अत : वाद वादी साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.2.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्याया लय उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण : 141/ 2017

अनवान

1. बंशी ाल पुत्र मोहरसिंह जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुम ानगढ़ (राजस्थान)

– **वादी**

बनाम

1. मोह सिंह पुत्र वीरू जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुम ानगढ़ (राजस्थान)
2. संत ाल पुत्र मोहरसिंह जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुम ानगढ़ (राजस्थान)
3. नारा ायणी देवी पुत्री मोहरसिंह पत्नि राजेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी खाबड़ा तहर ील भट्टू जिला फतेहाबाद।
4. मनी ा उर्फ लाडो पुत्री मोहरसिंह पत्नि राजसिंह जाति जाट निवासी खाबड़ा तहर ील भट्टू जिला फतेहाबाद।
5. धर्मा ती पुत्री मोहरसिंह पत्नि जवाहरलाल जाति जाट निवासी ढाबी तहसील भट्ट जिला फतेहाबाद।
6. लील वती पुत्री मोहरसिंह पत्नि रायसिंह जाति जाट निवासी खचवाना तहर ील भादरा जिला हनुमानगढ़।
7. गुरू ुखी पुत्री मोहरसिंह पत्नि रामनिवास जाति जाट निवासी खचवाना तहर ील भादरा जिला हनुमानगढ़।
8. दी ंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा गोगामेड़ी जरिये शाखा प्रबंधक शाख ा गोगामेड़ी।
9. ओर्ब सी बैंक शाखा नेठराना जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा नेठराना।

– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष व कील वादी श्री धर्मपाल बेरवाल एवं वकील प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 श्री सतवीर बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित हीं होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना व हन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14.2.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायाल ा की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़